महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश मंदिर

पो.-जवासिया, उज्जैन (मध्य-प्रदेश)

दूरभाष / Tele : (0734) 2502266,2502254, फैक्स / Fax : (0734) 2502253

e-mail : msrvvpujn@gmail, Web : www.msrvvp.nic.in

-निविदा प्रपत्र-

कार्य का नामः- वर्ष खण्ड 2018-19 हेतु प्रतिष्ठान में हाउस कीपिंग, उद्यान विशेषज्ञ, गार्डनिंग, डाटा इन्ट्री आपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन व्यवस्था के लिए

निविदा अंतिम तिथि : **हाउस कीपिंग अमानत राशि-14,000/-** **उद्यान विशेषज्ञ अमानत रशि-3,500/-** **गार्डनिंग अमानत राशि-10,000/-** **डाटा इन्ट्री आपरेटर अमानतराशि-16,000/-** **इलेक्ट्रीशियन अमानत राशि-3,500/-** **लेखा सहायक अमानत राशि-7,200/-**	**25 जुलाई, 2018 बुधवार सांय 06:00 बजे तक**
निविदा खोलने की तिथि :	**26 जुलाई, 2018 गुरूवार प्रातः 11:00 बजे**
सेवा/कार्य की अनुमानित लागत राशि :	रू.26,80,000/- (छब्बीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र)
धरोहर राशि :	रू.54,000/- (चौवन हजार रूपये मात्र)
बैंक फिक्स डिपोजिट संख्या/डी.डी. संख्या :	
दिनांक :	
बैंक का नाम व पता :	
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा/समयावधि	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पताः (दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)	

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

हाउस कीपिंग, उद्यान विशेषज्ञ, गार्डनिंग, डाटा इन्ट्री आपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन व्यवस्था के लिए नियम एवं शर्तें:–

1. धरोहर राशि का डी.डी./एफ.डी.आर. पोर्टल पर अपलोड कर वास्तविक प्रति प्रतिष्ठान को निर्धारित दिनांक तक प्रेषित करें। डी.डी./एफ.डी.आर. **महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन** के नाम देय होगा।

2. निविदाकार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यादेश। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण–पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण–पत्र अथवा 50% के तीन प्रमाण–पत्र आवश्यक हैं जो विगत 7 वर्षो के अन्दर प्राप्त किये गये हों।

3. निविदाकार फर्म का पैनकार्ड।

4. विक्री कर विभाग से जारी TIN नम्बर।

5. सर्विस टैक्स क्रमांक।

6. निविदा में फर्म के प्रोपराइटर के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।

7. ई.एस.आई./आई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन नम्बर।

8. निविदा में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है।

10. निविदा दरें सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करें।

क) **तकनीकि बोली**– उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण प्रपत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियॉ एवं निर्धारित अमानत राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR) / D.D. की स्केन कापी अपलोड कर मूल प्रति निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा प्रतिष्ठान कार्यालय को प्रेषित करें।

ख) **वित्तीय बोली**– प्रतिष्ठान द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जावें। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काँट–छाँट या (overwriting) मान्य नहीं होगी।

निम्न स्थितियों में निविदा अमान्य /निरस्त मानी जाएगी :

1. धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

2. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं। अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा। अर्थात् सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित निविदा फार्म में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान या शर्तों का उल्लेख न किया जाए।

3. किसी प्रकार की अस्पष्टता एवं कटिंग ओवर राईटिंग आदि होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।

4. एक मद में भी निविदा दरें न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। निविदा प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दरें स्वीकार्य होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में दी गई दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।

अन्य जानकारियाँ :

1. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

2. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकि बोली पर विचार होगा। माँगे गए सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही वित्तीय बोली पर विचार होगा। तकनीकि बोली में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय बोली निरस्त कर दी जायेगी।

3. निविदा स्वीकार्य होने के स्थिति में निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 5% धनराशि का FDR निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से छः माह अधिक अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।

4. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।

5. कार्यादेश जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिन बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।

6. ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मी को ड्यूटी स्थल तक आने जाने का किसी प्रकार का स्थानीय प्रभार भुगतान नहीं होगा।

7. प्रतिष्ठान के भवनों की स्वच्छता, बाग–बगीचों की सफाई एवं रखरखाव प्रतिष्ठान द्वारा अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशन में समस्त स्वच्छता एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्य करने का दायित्व एजेन्सी का होगा।

8. निर्धारित समय सीमा में कार्यादेश का पालन न करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।

9. सन्तोषजनक कार्य होने पर कार्यावधि समिति की संस्तुति पर क्रमशः एक–एक वर्ष कर तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है। समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत दर में यथोचित प्रतिवर्ष वृद्धि की जा सकती है।

10. निविदा स्वीकार न होने की दशा में (चयनित निविदादाता को छोड़कर अन्य सभी निविदादाताओं की) धरोहर राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR) / D.D.वापस कर दी जाएगी।

11. कार्य की विचलन सीमा (Deviation Limit) 100% रहेगी।

12. निविदा अवधि में आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। अतः तद्नुसार तुरन्त व्यवस्था करनी होगी।

13. सेवाओं में लापरवाही या कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी का अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही समाप्त करने का अधिकार प्रतिष्ठान को होगा।

14. बिल राशि से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। टीडीएस कटौती से सम्बन्धित 16ए फार्म टीडीएस जमा होने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

15. निविदा स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार प्रतिष्ठान के अधीन रहेगा।

16. प्रतिष्ठान के सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

17. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के लिए भारतीय कानून के साथ न्यायायिक क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम

1. कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों की सूची मय जीवनवृत्त (बायोडाटा) के साथ प्रतिष्ठान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र जारी कर गार्ड के पास उपलब्ध होना चाहिए। परिवर्तन की स्थिति में सूची अद्यतन करना होगा।
2. समस्त कर्मचारियों का पुलिस से सत्यापन का प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य है।
3. कर्मचारी प्रशिक्षित तथा अच्छे स्वस्थ, दक्ष एवं ह्ष्टपुष्ट होने चाहिए। इनकी आयु सीमा 21–55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. प्रतिष्ठान चूकि वेद का अध्ययन एवं अध्यापन के राष्ट्रीय स्तर की संस्था है इसलिए भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुरूप व्यवहार (आहार इत्यादि) ही मान्य होंगे ।
5. कार्य पर लगाए गये कर्मचारियों के ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं बीमा आदि जमा करने की जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी तथा जमा करवायी गई राशि के चालान की प्रति प्रतिमाह प्रतिष्ठान में जमा करवानी होगी।

निविदा स्वीकृत होने पर :–

1. एजेन्सी को पंजाब नेशनल बैंक की जवासिया स्थित शाखा, उज्जैन में बचत खाता खोलना होगा । इस खाता में ही प्रतिष्ठान के द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

2. एजेन्सी द्वारा कार्य पर लगाये गए सभी कर्मचारियों का बैंक खाता भी पंजाब नेशनल बैंक जवासिया शाखा में खोलना होगा ।
3. एजेन्सी को 5 तारीख से पूर्व में अपने कर्मचारियों को वेतन स्वयं RTGS द्वारा प्रेषित करना होगा । तदोपरान्त शाखा से प्राप्त वेतन को दर्शाए गए प्रति, EPF, ESI आदि का प्रमाणित प्रति एवं UAN संख्या सहित प्रस्तुत करने पर सभी बिल सही पाये जाने पर प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
4. प्रतिष्ठान के द्वारा जारी नियमावली **अनुलग्न** में उल्लिखित है । एजेन्सी नियमावली उल्लिखित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा ।
5. एजेन्सी के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों का नियमित और समय पर (काम करने के माह के उपरान्त अगले महीने 5 तारीख से पहले) वेतन भुगतान करना होगा। कर्मचारियों से किसी भी तरह से निविदा प्रपत्र में न दर्शाए बिना वसूली को IPC धारा 383-389 एवं Prevention of Money Laundering Act, 2002 के धारा–3 (सेक्सन–3) तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा । इसकी किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो एजेन्सी पर **जबरन वसूली** का IPC धारा 383-389 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

सचिव
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान